"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 115] रायपुर, बुधवार, दिनांक 5 मार्च 2014— फाल्गुन 14, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-42/2014/वाक/पांच (38) . — छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 4-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिसूचना क्रमांक ए -5-14-97-वाक/पांच (78), दिनांक 29-09-1997 में निम्नानुसार संशोधन करती है :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की वर्तमान अनुसूची के स्थान पर नीचे दी गई अनुसूची प्रतिस्थापित की जाए :-

अनुसूची

अ. क्र.	स्थानीय क्षेत्र	माल का वर्ग	दिनांक	कर की दर (प्रतिशत में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त स्थानीय क्षेत्र.	(एक) जिप्सम (दो) फर्नेश ऑयल, (तीन) ए. सी. एस. आर. कन्डक्टर एवं ए. ए. ए. कन्डक्टर, (चार) स्टील टयूब (सीमलेस टयूब एवं पाईप को छोड़कर) (पांच) ट्रांसफार्मर (1000 के. व्ही. ए. तक)	01-04-2014	5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(छै:) एक्सरसाईज बुक्स के निर्माण के लिये पेपर (कॉपियर पेपर को छोड़कर) (सात) 11 के वी से 33 के वी तक के ए. बी. स्वीचेस, 11 के वी से 33 के वी तक के ड्राप आउट फ्यूज युनिट, 11 के वी से 400 के वी तक के आंईसोलेटर्स, 11 के वी से 145 के वी तक के एच. जी. फ्यूजेस, सभी रेटिंग्स के इन्सुलेटर फिटिंग्स तथा पी. सी. सी. पोल, (आठ) हाई कार्बन फेरो मैंगनीज तथा सिलिको मैंगनीज (नौ) एचडीपीई/पीपी बैग्स, (दस) जूट बैग तथा जूट टवाईन यदि उपरोक्तानुसार (एक) से (दस) में वर्णित मालों पर छ. ग. मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 8 के अंतर्गत कर न चुकाया गया हो.		
2.	छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त स्थानीय क्षेत्र.	लाईट डीजल ऑयल, यदि छ. ग. मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 8 के अंतर्गत कर न चुकाया गया हो.	01-04-2014	15
3.	छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त स्थानीय क्षेत्र.	एक्सप्लोसिव्ह (एक) यदि छ. ग. मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 8 के अंतर्गत कर चुकाया गया हो.	01-04-2014	6
		(दो) ऊपर वर्णित (एक) से भिन्न स्थिति में.		10
4.	छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त स्थानीय क्षेत्र.	(एक) पेट्रोल (दो) हाईस्पीड डीजल ऑयल, व्हाईट केरोसीन ऑयल एवं सॉल्वेंट, यदि उपरोक्तानुसार (एक) से (दो) में वर्णित मालों पर छ. ग. मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 8 के अंतर्गत कर न चुकाया गया हो.	01-04-2014	25
5.	छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त स्थानीय क्षेत्र.	कैल्सियम नाइट्रेट- (एक) यदि छ. ग. मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005, की धारा 8 के अंतर्गत कर चुकाया गया हो.	01-04-2014	2
		(दो) ऊपर वर्णित (एक) से भिन्न स्थिति में.		10
6.	छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त स्थानीय क्षेत्र.	कॉपियर पेपर, यदि छ. ग. मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005, की धारा 8 के अंतर्गत कर न चुकाया गया हो.	01-04-2014	10
7.	छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त स्थानीय क्षेत्र.	(एक) आयरन ओर तथा आयरन ओर पैलेट (दो) कोकिंग कोल (तीन) कोयला (चार) बाक्साइट (पांच) केलसाइंड एल्यूमिना	01-04-2014	6

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		यदि उपरोक्तानुसार (एक) से (पांच) में वर्णित मालों पर छ. ग. मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 8 के अंतर्गत कर न चुकाया गया हो तथा इन मालों के उपयोग से निर्मित माल का छत्तीसगढ़ राज्य में या अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय न हो.		
8.	छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त स्थानीय क्षेत्र.	लाईम स्टोन -		
		(एक) जब लाईम के निर्माण में लाईम किल्न में उपयोग किया जाए.	01-04-2014	2.5
		(दो) जब क्लिंकर के निर्माण में उपयोग किया जाय और ऐसा क्लिंकर -		
		(अ) राज्य के बाहर स्टाक ट्रांसफर के रूप में भेजा जाय,		25
		(ब) उपरोक्त "अ" में निर्दिष्ट परिस्थिति से भिन्न उपयोग, उपभोग अथवा विक्रय किया जाय.		10
		(तीन) प्रविष्टि क्रमांक (एक) एवं (दो) में वर्णित वस्तुओं से भिन्न वस्तु के निर्माण में उपयोग किया जाय.		10

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2014

क्रमांक एफ-10-42/2014/वाक/पांच (38). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-42/2014/वाक/पांच (38), दिनांक 4-3-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 04th March 2014

NOTIFICATION

No. F-10-42/2014/CT/V(38). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4-A the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby makes the following amendments in notification No. A-5-14-97-ST-V (78) dated 29-09-1997 :-

AMENDMENT

In the said notification, for the existing Schedule, the following Schedule shall be substituted -

SCHEDULE

S. No.	Local areas	Class of goods	Date	Rate of Tax (percent)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	All local areas in the State of Chhattisgarh	(i) Gypsum (ii) Furnace oil	01-04-2014	5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(iii) ACSR conductor and AAA Conductor (iv) Steel tubes (excluding seamless tube and pipe) (v) Transformer (Upto 1000 KVA) (vi) Paper other than copier paper for manufacture of exercise books. (vii) A. B. Switches of 11 KV to 33 KV, Drop out fuse units of 11 KV to 33 KV, Isolators 11 KV to 400 KV, H. G. fuses 11 KV to 145 KV, Disc insulator fittings of all ratings and P. C. C. Poles. (viii) High carbon ferro manganese and silico manganese. (ix) HDPE/ P. P. bags (x) Jute bag and jute twine. When the goods specified in (i) to (x) above, have not borne tax under section 8 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005.		
2.	All local areas in the State of Chhattisgarh	Light Diesel Oil When have not borne tax under section 8 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005.	01-04-2014	15
3.	All local areas in the State of Chhattisgarh	Explosive - (i) When have borne tax under section 8 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005.	01-04-2014	6
		(ii) In circumstances other than mentioned in (i) above.		10
4.	All local areas in the State of Chhattisgarh	(i) Petrol (ii) High Speed Diesel Oil, White Kerosene and Solvent. When the goods specified in (i) to (ii) above, have not borne tax under section 8 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005.	01-04-2014	25
5.	All local areas in the State of Chhattisgarh	Calcium nitrate -	01-04-2014	
		(i) When have borne tax under section 8 of the Chhattisgarh Value added Tax Act, 2005.		2
		(ii) In circumstances other than mentioned in (i) above.		10
6.	All local areas in the State of Chhattisgarh	Copier paper - When have borne tax under section 8 of the Chhattisgarh Value added Tax Act, 2005.	01-04-2014	10
7.	All local areas in the State of Chhattisgarh	(i) Iron ore & Iron ore pellet (ii) Coking Coal (ii) Coal	01-04-2014	6

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(iv) Bauxite (v) Calcined Alumina When the goods specified in (i) to (v) above, have not borne tax under section 8 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 and goods manufactured by use of these goods are not sold within the Chhattisgarh State or in the course of interstate trade or commerce or in the course of export out of territory of India.		
8.	All local areas in the State of Chhattisgarh	Lime Stone -	01-04-2014	
		(i) When used in lime kilns for manufacture of lime.		2.5
		(ii) When used in manufacture of clinker and such clinker is :		
		(a) Sent outside the State by way of stock transfer.		25
		(b) Used, consumed or sold other-wise than in the circumstances specified in (a) above.		10
		(iii) When used in manufacture of goods other than those mentioned in entry No. (i) and (ii).		10

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-42/2014/वाक/पांच (39). — छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 4-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जारी निम्नानुसार अधिसूचनाओं को राज्य सरकार, एतद्द्वारा, 1 अप्रैल, 2014 की वैधता से निरसित करती है :-

(एक) अधिसूचना क्रमांक एफ-10-20/2002/वाक/पांच (22) दिनांक 28-02-2002
(दो) अधिसूचना क्रमांक एफ-10/29/2006/वाक/पांच (18) दिनांक 30-03-2006
(तीन) अधिसूचना क्रमांक एफ-10/42/2006/वाक/पांच (37) दिनांक 13-04-2006
(चार) अधिसूचना क्रमांक एफ-10/58/2006/वाक/पांच (49) दिनांक 28-04-2006

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2014

क्रमांक एफ-10-42/ 2014/वाक/पांच(39). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-42/2014/वाक/पांच (39) दिनांक 4-3-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 4th March 2014

NOTIFICATION

No. F 10-42/2014/CT/V(39). — The following notifications issued in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4-A of Chhattigarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), are hereby rescinds by the State Government with effect from, 1st April, 2014.

(i) Notification No. F-10-20/2002/CT/V(22) dated 28-02-2002
(ii) Notification No. F-10/29/2006/CT/V(18) dated 30-03-2006
(iii) Notification No. F-10/42/2006/CT/V(37) dated 13-04-2006
(iv) Notification No. F-10/58/2006/CT/V(49) dated 28-04-2006

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.